रजिस्टर्ड


राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
*वित्त भवन,"ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-* 302005
( दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in )


क्रमांक :- प.4(ई)(वि) अलेसे-III / मेरिट नंबर –m-2781 / 2013 / 5598 दिनांक :- 23-06-2020

**श्री विपिन शर्मा**
**निवासी–2डी2,विकास नगर बून्दी,राजस्थान।**
**पिन कोड– 323001**

विषय– कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने के संबध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के आदेश सख्या 34 / 2019–20 दिनांक 12.03.2020 द्धारा आपको कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान कर उक्त आदेश जारी होने की तिथी से 15 दिवस की अवधि में उपकोषालय (पेंशन) जयपुर में कार्यग्रहण करने के लिए निर्देशित किया गया था।

विभाग के उक्त आदेश के क्रम में आपके कार्यालय उपायुक्त,राज्य कर वाणिज्यिक कर विभाग,वृत्त–बून्दी ने अपने पत्र क्रमांक उपायुक्त / सस्थां / बून्दी / 2019–20 / 164 दिनांक 20.03.2020 के द्धारा आपकी कार्यग्रहण अवधी में 60 दिवस का विस्तार करने का अनुरोध किया गया था। वर्तमान में 60 दिवस की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। किन्तु आप द्धारा विभागीय आदेश की पालना नहीं की गई है और ना ही इस सम्बध में कोई सूचना इस विभाग में प्रस्तुत की गई है जिससे यह प्रतीत होता है कि आप उक्त पद पर कार्य करने के इच्धुक नहीं है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप विभागीय आदेशों की पालना में **उक्त पत्र प्राप्ति के 07 दिवस की अवधि में** कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यालय **उपकोषालय (पेंशन) जयपुर** में कार्यग्रहण कर इस विभाग को शीघ्र अवगत करावे अन्यथा यह मानते हुए कि आप उक्त पद पर कार्य करने के इच्धुक नहीं है आपके उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त समझें जावेगे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

**(मुकुन्द सोहोनी)**
**निदेशक**

क्रमांक :- प.4(ई)(वि) अलेसे-III / मेरिट नंबर – m-2781 / 2013 / 5598 दिनांक :- 23-06-2020

1. **उपायुक्त,राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग,वृत्त–बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि श्री विपिन शर्मा को तुरन्त कार्यमुक्त कर नवपदस्थापन कार्यालय मे कनिष्ठ लेखाकार के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु निर्देशित करें।**
2. **निजी सचिव, निदेशक।**
3. **उप निदेशक एसीपी को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।**
4. **रक्षित / निजी पत्रावली।**

**(शिल्पी कौशिक)**
**अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)**